न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2023 **दायर दिनांकः 03.05.2023**

उनवान

1. ओमप्रकाश आयु 22 वर्ष पुत्र कजोड जाति माली निवासी ननावता तहसील अटरू जिला बारां।

अपीलान्ट

बनाम

1. सचिव महोदय ग्राम पंचायत ननावता पंचायत समिति अटरू।
2. सरपंच महोदय ग्राम पंचायत ननावता पंचायत समिति अटरू जिला बारां।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तह. अटरू जिला बारां (राज.)

रेस्पोडेन्ट

ग्राम पंचायत ननावता द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 20.09.2022 के विरूद्व अपील

उपस्थिति :–

अपीलान्ट :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

रेस्पोडेन्ट :–

निर्णय

दिनाकः 20.01.2025

अपीलान्ट ने यह अपील अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में ग्राम पंचायत ननावता द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 20.09.2022 के विरूद्व इस आशय की पेश की है कि ग्राम एवं माल ननावता तह. अटरू में खाता संख्या 6 की कुल 9 किता की कुल रकबा 6.94 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जो अपीलान्ट एवं उसकी बहिने, मां के दर्ज खाता चली आ रही है। अपीलान्ट की माँ प्रेम बाई तथा बहिन रामपति व सीमा बाई ने उनका हिस्सा अपीलान्ट के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड हकत्याग से कर दिया था। अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड हक़त्याग का नामान्तरण दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पटवारी [illegible] ने मुताबिक पंजीयन शुदा हकत्याग के आधार पर ग्राम पंचायत में नामान्तरण स्वीकृत करने के लिए प्रस्तुत किया तो सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अनर्गल आरोप लगाकर नामान्तरण को निरस्त कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा किया गया निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया है कि मृतक कजोड के कौन कौन वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:32:57 IST
Reason: SelfAttested

है मात्र कयास के आधार पर पंजीकृत दस्तावेज को संदेहास्पद मानकर खारिज कर कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने श्रीमान तहसीलदार साहब के यहाँ नक़ल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 17/04/2023 को प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय में अपील अवधि मध्य पेश है। अपील अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है तथा माननीय न्यायालय को अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः माननीय न्यायालय में अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेट बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तकरण संख्या 868 दिनांक 06.07.2022 ग्राम ननावता, नकल हकत्याग पत्र दिनांक 16.06.2022, आधार कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट की माँ प्रेम बाई तथा बहिन रामपति व सीमा बाई ने उनका हिस्सा अपीलान्ट के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड हकत्याग से कर दिया था। अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड हक़त्याग का नामान्तरण दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का ने मुताबिक पंजीयन शुदा हकत्याग के आधार पर ग्राम पंचायत में नामान्तरण स्वीकृत करने के लिए प्रस्तुत किया तो सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अनर्गल आरोप लगाकर नामान्तरंण को निरस्त कर दिया।

बहस अभिभाषक, पत्रावली पर उपस्थित रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तकरण संख्या 868 दिनांक 06.07.2022 व नकल हकत्याग पत्र दिनांक 16.06.2022 के अनुसार अपीलान्ट की माँ प्रेम बाई व बहिन रामपति व सीमा बाई ने उनका हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड हकत्याग उनका हिस्सा अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया है। लेकिन ग्राम पंचायत ननावता द्वारा अनर्गल आरोप लगाकर नामान्तरण को निरस्त कर दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:32:57 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर जाँच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अटरू को निर्देशित किया जाता है कि जाँच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:32:57 IST
Reason: SelfAttested